भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4271

दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति

4271. डा॰ टी॰आर॰ पारिवेन्धः

श्री एम॰ सेल्वराजः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आम जन/हितधारकों/एनजीओ से राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति पर विचार आमंत्रित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस नीति पर सरकार को प्राप्त सुझावों की कुल संख्या क्या है;

(ग) इन सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति तैयार करने के संबंध में संपूर्ण बेहुरा बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यू.पी.(सी) सं.473/2005 में एम.ए. सं.-2069/2018 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति का पहला मसौदा तैयार किया गया था । सभी हितधारकों की टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए इस मसौदे को सार्वजनिक डोमेन में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था । कार्यान्वयन हेतु नीति को अंतिम रूप दिए जाने से पहले, लगभग 250 टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है ।

*****